भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2086
बुधवार, 19 मार्च, 2025 (28 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी चीनी मीलों का सुदृढीकरण

2086# श्री शंभू शरण पटेलः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय द्वारा चीनी उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली सहकारी चीनी मीलों को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाया गया हैं;
(ख) क्या सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मीलों की मदद के लिए कोई कदम उठाया है; और
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): भारत सरकार ने सहकारी चीनी मिलों (CSMs) के सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: -

(i) सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत: भारत के कुछ राज्यों में सहकारी क्षेत्रों में प्रचालन चीनी कारखाने गन्ना उत्पादकों को अंतिम राशि का भुगतान करती हैं, जिसे अक्सर अंतिम गन्ना मूल्य (FCP) कहा जाता है जो गन्ना नियंत्रण आदेश, 1996 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य (SMP) से अधिक है।

सहकारी चीनी कारखानों द्वारा गन्ने की खरीद के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य के अतिरिक्त अंतिम गन्ना मूल्य (FCP) के भुगतान के परिणामस्वरूप कर संबंधी मुकदमेबाजी हुई थी। सहकारी चीनी फैक्टरियां इस अधिक भुगतान को व्यावसायिक व्यय के रूप में दावा कर रही थीं जबकि मूल्यांकन में इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि गन्ने की खरीद के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य (SMP) के अलावा

भुगतान किया गया अधिक मूल्य लाभ के विनियोजन/वितरण स्वरूप का है और इसलिए कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

इस मामले में निश्चितता प्रदान करने और चीनी क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में संशोधन के लिए एक नया खंड (xvii) जोड़ा गया यह उपबंध करता है कि चीनी के निर्माण में संलग्न सहकारी समितियों द्वारा गन्ने की खरीद के लिए दी गई राशि, जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के बराबर या उससे कम हो, या राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तरीय अधिनियम/आदेशों या अन्य कानूनी साधनों के माध्यम से निर्धारित मूल्य सहित, जिसमें राज्य परामर्शित मूल्य शामिल है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित वैधानिक न्यूनतम मूल्य/उचित और लाभकारी मूल्य से अधिक हो सकता है, को चीनी सहकारी कारखानों की व्यवसायिक आय की गणना के लिए कटौती के रूप में स्वीकृत किया जाएगा और यह प्रावधान दिनांक 01.04.2016 से प्रभावी होगा।

(ii) सहकारी चीनी मिलों पर आयकर मांग से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान करना: उपरोक्त क्रम संख्या (i) के प्रावधान ने 01.04.2016 से सहकारी चीनी मिलों(CSMs) द्वारा चीनी मूल्य के लिए अतिरिक्त भुगतान को किसानों को आय वितरण के रूप में मानने के मुद्दे को हल कर दिया। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2016-17 से पहले के आकलन वर्षों (AYs) के संबंध में लंबित मांगें और मुकदमेबाजी अभी भी बनी हुई है। इसलिए, मामले को तार्किक रूप से समाप्त करने और सभी लागू वर्षों तक उपर्युक्त राहत का लाभ देने के लिए, अधिनियम की धारा 155 में संशोधन किया गया है ताकि वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से 01 अप्रैल 2023 से एक नई उप-धारा (19) को समाविष्ट किया जा सके। यह उपबंध करता है कि सहकारी चीनी मिल के मामले में, जहां निर्धारिती द्वारा गन्ने की खरीद के लिए किए गए किसी भी व्यय के संबंध में किसी कटौती का दावा किया गया है और इस तरह की कटौती को 1 अप्रैल, 2014 से शुरू होने वाले किसी भी पिछले वर्ष में पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया है, कर निर्धारण अधिकारी, इस संबंध में ऐसे निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर, ऐसे पिछले वर्ष के लिए ऐसे निर्धारिती की कुल आय की पुनर्गणना करें। निर्धारण अधिकारी उस सीमा तक ऐसी कटौती अनुज्ञात करेगा जिस तक ऐसा व्यय उस कीमत पर उपगत किया जाता है जो उस पूर्ववर्ष के लिए सरकार द्वारा नियत या अनुमोदित कीमत के बराबर या उससे कम है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने दिनांक 27.07.2023 को इस संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया भी जारी की है।

(iii) सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना: सहकारिता मंत्रालय ने 'सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम(NCDC) को सहायता अनुदान' नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम(NCDC) को 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) इस अनुदान का उपयोग सहकारी चीनी मिलों को 10,000 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करने, इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना या कोजनरेशन संयंत्रों की स्थापना या कार्यशील पूंजी या सभी तीन उद्देश्यों के लिए करेगा। एनसीडीसी ने अब तक 48 'सहकारी चीनी मिलों (CSMs) को 9893.12 करोड़ रुपये के 87 ऋण संस्वीकृत किए हैं।

योजना के अंतर्गत इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण प्राप्त करने वाले 'सहकारी चीनी मिलों (CSMs) को आसानी के लिए, एनसीडीसी ने अपने वित्त पोषण पैटर्न को 70:30 से 90:10 तक संशोधित किया है, जिसमें समिति को परियोजना लागत का केवल 10% जुटाना है और परियोजना लागत का 90% परियोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के अधीन एनसीडीसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, सहकारी चीनी मिलों के लाभ के लिए, एनसीडीसी ने इस योजना के तहत सावधि ऋण के लिए अपनी ब्याज की अस्थिर दर को घटाकर 8.50% कर दिया है।

(iv) सहकारी चीनी मिलों को इथेनॉल की खरीद में वरीयता: तेल विपणन कंपनियां (OMCs) इथेनॉल खरीद चक्रों में भाग लेने वाले सीएसएमएस को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं। तेल विपणन कंपनियां (OMCs) द्वारा 11 'सहकारी चीनी मिलों (CSMs) से अब तक 25.50 करोड़ रुपये के 24,650 केएल इथेनॉल की खरीद की जा चुकी है।

(v) सहकारी चीनी मिलों के शीरा (Molasses) आधारित इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी फीड इथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करके इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि करना: सहकारिता मंत्रालय ने चीनी सहकारी मिलों (CSMs) के मौजूदा शीरा (Molasses) आधारित इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी फीड इथेनॉल संयंत्रों में बदलने की पहल की है। चूंकि वे अपनी डिस्टिलरीज का संचालन पूरे वर्ष कर सकते हैं, इस पहल के तहत 'सहकारी चीनी मिलों (CSMs) को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

(i) एनसीडीसी 90:10 के वित्तपोषण पैटर्न के तहत एक सावधि ऋण प्रदान करेगा, जिसमें 90% समिति से और 10% राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से होगा ।

(ii) दिनांक 6 मार्च, 2025 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने संशोधित योजना को अधिसूचित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की, जिसका शीर्षक था *"Scheme for Financial Assistance to Cooperative Sugar Mills (CSMs) for Converting Their Existing Sugarcane-Based Feedstock Ethanol Plants into Multi-Feedstock-Based Plants to Utilize Grains Such as Maize and Damaged Food Grains (DFG) for Enhancing and Augmenting Ethanol Production Capacity",* जो विशेष रूप से सहकारी चीनी मिलों के लिए थी । इस योजना के अंतर्गत, केंद्रीय सरकार उन लोगों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज संसहायिकी का वहन करेगी, जो या तो 6% प्रति वर्ष की दर पर होगी या उधार देने वाली संस्था द्वारा लगाए गए ब्याज दर का 50%, जो भी कम होगा, पांच वर्षों की अवधि के लिए, जिसमें एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है ।

(iii) ब्याज संसहायिकी का लाभ उठाने वाली सहकारी चीनी मिलों को तेल विपणन कंपनियां (OMCs) द्वारा प्राथमिकता -1 दी जाएगी ताकि सिंगल-फीड इथेनॉल संयंत्रों से मल्टी-फीड इथेनॉल संयंत्रों में उनके बदलने की सुविधा मिल सके ।

*****